

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1507] No. 1507] नई दिल्ली, सोमवार, मई 29, 2017/ज्येष्ठ 8, 1939

NEW DELHI, MONDAY, MAY 29, 2017/JYAISTHA 8, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2017

का.आ. 1702(अ).—वित्त अधिनियम, 2017 (2017 का 7), (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को राष्ट्रपति की अनुमति तारीख 31 मार्च, 2017 को प्राप्त हो गई थी;

और जबिक, उक्त अधिनियम की धारा 184 की उप-धारा (1) का दूसरा परंतुक यह उपबंध करता है कि अध्यक्ष की आयु सत्तर वर्ष से अधिक नहीं होगी और उपाध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी या किसी अन्य सदस्य की आयु सड़सठ वर्ष से अधिक नहीं होगी;

और जबिक, उक्त अधिनियम का ऐसा उपबंध 26 मई, 2017 को प्रवृत्त हो गया है;

और जबिक, कोई व्यक्ति,-

- (क) जब तक कि वह कम से कम सात वर्ष तक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न रहा हो, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन स्थापित प्रतिभृति अपील अधिकरण के;
- (ख) जब तक कि वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है, न रहा है या होने के लिए अर्हित नहीं है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित औद्योगिक अधिकरण के; और
- (ग) जिला न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) के अधीन स्थापित ऋण वसूली अधिकरण के;

पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अर्हित नहीं होगा;

3401 GI/2017 (1)

और जबिक, उक्त अधिनियम के पूर्वोक्त उपबंधों को प्रभावी करने में किठनाई उत्पन्न हुई है चूंकि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, प्रतिभूति अपील अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्ति के पश्चात्, पैंसठ वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त नहीं हो सकेगा और उसकी सेवानिवृत्ति की आयु सत्तर वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी जैसा कि, यथास्थिति, अधिकरण, अपील अधिकरण या प्राधिकरण के अध्यक्ष के मामले में है:

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 189 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम वित्त (किठनाइयों का दूर किया जाना) आदेश, 2017 है।
 - (2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- 2. वित्त अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की धारा 184 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक में,-
 - (i) खंड (क) में, "या अध्यक्ष" शब्दों के स्थान पर, "अध्यक्ष या प्रतिभूति अपील अधिकरण का पीठासीन अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे;
 - (ii) खंड (ख) में, "पीठासीन अधिकारी" शब्दों के पश्चात्, "केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित औद्योगिक अधिकरण और ऋण वसूली अधिकरण का पीठासीन अधिकारी" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. ए-50050/9/2016-एडी1सी (सीईएसटीएटी) पीटी.-1]

उदय सिंह कुमावत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2017

S.O. 1702(E).—Whereas, the Finance Act, 2017 (7 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act) received the assent of the President on 31st March, 2017;

And whereas, second proviso to sub-section (1) of section 184 of the said Act provides that the age of the Chairperson, Chairman or President shall not exceed seventy years and the age of the Vice- Chairperson, Vice-Chairman, Vice- President, Presiding Officer or any other Member shall not exceed sixty- seven years;

And whereas, such provision of the said Act had come into force on the 26th day of May, 2017;

And whereas, no person is qualified to be appointed as the Presiding Officer-

- (a) of the Securities Appellate Tribunal established under the Securities Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), unless he is, or has been, a judge of Supreme Court or Chief Justice of High Court or a Judge of High Court for at least seven years;
- (b) of the Industrial Tribunal constituted by the Central Government under the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947) unless he is, has been, or is qualified to be, a Judge of High Court; and
- (c) of the Debts Recovery Tribunal established under the Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993) unless he is a Judge of District Court;

And whereas, a difficulty has arisen in giving effect to the aforesaid provisions of the said Act as a Judge of the Supreme Court or the Chief Justice of a High Court or a Judge of a High Court, after appointment as the Presiding Officer of Securities Appellate Tribunal may not be retired at the age of Sixty-five and his age of retirement be increase to the Seventy years as in case of the Chairperson or Chairman or President of Tribunal, Appellate Tribunal, or as the case may be, Authority;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 189 of the said Act, the Central Government hereby makes the following Order, namely: -

- 1. **Short title and commencement.**—(1) This Order may be called the Finance (Removal of Difficulties) Order, 2017
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2. In the Finance Act, 2017 (7 of 2017), in section 184, in sub-section (1), in the second proviso, -
 - (i) in clause (a), for the words "or President", the words "President or the Presiding Officer of the Securities Appellate Tribunal" shall be substituted;
 - (ii) in clause (b), after the words "Presiding Officer", the words "of the Industrial Tribunal constituted by the Central Government and the Debts Recovery Tribunal" shall be inserted.

[F. No. A.50050/9/2016-Ad1C (CESTAT) Pt. I]
UDAI SINGH KUMAWAT, Jt. Secy.